



2026:AHC-LKO:18943-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

प्रथम अपील संख्या - 103 सन 2023

महेंद्र कुमार पांडेय

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

श्रीमती अंतिमा पांडेय

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : विशाल कुमार यादव, अंबिका प्रसाद मिश्र, शैलेन्द्र कुमार सिंह,
सुनील कुमार

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : राजीव दुबे, अभिनव मिश्रा, गंगा प्रसाद मिश्रा

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय

(सी.एम. आवेदन संख्या 20 / 2026)

यह प्रथम अपील वापस लेने का आवेदन है।

सुनवाई की गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपीलकर्ता द्वारा दायर प्रथम अपील वापस लेने के आवेदन पर जोर दिया। आवेदन के साथ अपीलकर्ता का शपथ-पत्र भी संलग्न है। यह सूचित किया जाता है कि पक्षों के बीच समझौता हो गया है और इसके परिणामस्वरूप हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत आपसी सहमति से तलाक की कार्यवाही शुरू की गई है।

उपरोक्त के मद्देनजर, आवेदन को **अनुमति** दी जाती है और प्रथम अपील वापस ले ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

[न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय] [न्यायमूर्ति राजन राय]

मार्च 16, 2026

शान्/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।